पत्रांक–जी / नि0सु0अ0–14–56 / 2013................................ /

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव–सह–नियंत्री प्राधिकारी।

सेवा में,

निबंधित

कॅप्टन पवनजीत सिंह अहलूवालिया (से0नि0),
पिता–स्व0 कर्नल चरणजीत सिंह अहलूवालिया (से0नि0),
ख नं0–407 / 329 / 331 / 406–F –37–A,
राधे मोहन, फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली–110030

पटना, दिनांक–................फरवरी, 2016

विषयः– बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 के तहत राज्य में निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने हेतु आपका आवेदन दिनांक–03.08.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि आपके द्वारा बिहार राज्य के अंतर्गत निजी सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन समर्पित किया गया। बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011के नियम–7 (4) में निहित प्रावधानों के अनुसार नियंत्री प्राधिकारी द्वारा अवर सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना से आपके कार्यालय एवं प्रशिक्षण सुविधा स्थल की जाँच करायी गयी।

अवर सचिव द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया गया किप्रपत्र–V में उल्लिखित कार्यालय–सह–प्रशिक्षण स्थल एक कमरे से संचालित किया जा रहा है, जहाँ हाथ से पकडने वाला मेटल डिटेक्टर के अतिरिक्त अन्य कोई प्रशिक्षण सुविधा / उपकरण उपलब्ध नहीं हैं।

उक्त के आलोक में अधिनियम की धारा–7(4) (a) में निहित प्रावधान के तहत आपसे विभागीय पत्रांक–11385, दिनांक–12.10.2015 के माध्यम से कारण पृच्छा की गयी कि आवेदन प्रपत्र–V में उल्लेखित कार्यालय–सह–प्रशिक्षण स्थल में पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधा / उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण क्यों नहीं अनुज्ञप्ति हेतु समर्पित आपके आवेदन दिनांक–03.08.2013 को अस्वीकृत कर दिया जाए?

प्रत्युत्तर में आपके पत्रांक–PSPL/PSARA/BIHAR दिनांक–26.10.2015 के माध्यम से सूचना दी गयी कि बिहार में आपका प्रशिक्षण केन्द्र ग्राम–कथराई, पो0–मानिकपुर, थाना–धनसोई, प्रखण्ड–राजपुर, जिला–बक्सर–802108 में अवस्थित है।

आपके द्वारा उक्त संदर्भ में समर्पित संशोधित प्रपत्र–V के आलोक में पुलिस अधीक्षक, बक्सर के माध्यम से उक्त प्रशिक्षण स्थल की जाँच कराई गयी। पुलिस अधीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त आख्यापित किया गया है कि आपके उक्त प्रशिक्षण केन्द्र पर निजी सुरक्षा गार्ड को प्रशिक्षण देने हेतु संसाधनों का अभाव है। उक्त आधार पर उनके द्वारा आपको अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं करने की अनुसंशा की गयी है।

अतः अधिनियम की धारा–7(4) निहित प्रावधान के तहत पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध न होने के कारण अनुज्ञप्ति हेतु आपका आवेदन दिनांक–03.08.2013 **अस्वीकृत** किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह0 / –
सरकार के विशेष सचिव
–सह–
नियंत्री प्राधिकारी।

ज्ञापांकः–.............................. पटना, दिनांक–.............जनवरी, 2016

प्रतिलिपिः– वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना / पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के विशेष सचिव
–सह–नियंत्री प्राधिकारी।

ज्ञापांकः–1103 पटना, दिनांक–05/2/ ~~जनवरी~~, 2016

प्रतिलिपिः– आई.टी. प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra 04.02.16
सरकार के विशेष सचिव
–सह–नियंत्री प्राधिकारी।

3/4-2-16

D/Y/Security Agency/Draft